

क्रमांक 5341526

एम.सी./स्था/राज/4/2022

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3/11/2022

// विज्ञापन //

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभा मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 07-41/2021 /आ.प्र./1 दिनांक 06/01/2022 एवं चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक एफ 2-42/07/01/55 भोपाल दिनांक 17.12.2021 के द्वारा सीधी भर्ती के मामलों में राज्य स्तरीय संवर्ग, जिनमें पदों के लिये मॉडल रोस्टर में अ0पि0 वर्ग प्रतिशत 14% से बढ़ाकर 27% किया गया के अनुसार संस्था में रिक्त सीनियर के पदों हेतु साक्षात्कार द्वारा नियुक्तियों की जाना है। भर्ती नियम के 1200-02 /स्था/राज/2021, भोपाल दिनांक 24.12.2021 एवं SR भर्ती नियम 2020 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय अनुसार किया जाना है। विस्तृत जानकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की वेबसाइट WWW.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है।

आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति एवं अनारक्षित श्रेणी के आवेदक को 1000 रु एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदक को 500 रु (डी.डी के माध्यम से जमा कर छाया प्रति संलग्न करे) के साथ दिनांक 10/11/2022 सांय 5 बजे तक स्वयं अथवा पोस्ट द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की आवक शाखा में जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

सीनियर रेसीडेंट रिक्त पदों की जानकारी

S.NO.	SUBJECT	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.जा.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
01	MEDICINE	03	-	02	01	-	06
02	RESPIRETARY MEDICINE	-	-	01	-	-	01
03	SURGERY	01	01	01	-	-	03
04	ENT	-	-	01	-	-	01
05	ANESTHESEA	01	01	02	02	-	06
06	CARDIAC ANESTHESEA	-	01	-	-	-	01
07	ORTHOPEDECS	-	01	-	-	-	01
08	RADIO DIAGNOSIS	-	01	-	-	-	01
09	C.T. SURGERY	01	-	-	01	-	02
10	GASTROENTEROLOGY	01	-	01	-	-	02
11	CARDIOLOGY	01	-	-	01	-	02
12	EMERGENCY MEDICINE	-	01	01	-	01	03
13	OPHTHALMOLOGY	01	-	01	-	-	02
14	PSYCHIATRY	01	-	-	-	-	01
15	CARDIAC ANESTHESEA	-	01	-	-	-	01
16	RADIOTHRAPHY	01	-	-	01	-	02
17	NEPHROLOGY	01	-	01	-	-	02
18	PEDIATRICS MEDICINE	02	01	01	-	01	05
19	DERMATOLOGY	01	-	-	-	-	01
	TOTAL	15	08	12	06	02	43

जूनियर रेसिडेंट रिक्त पदों की जानकारी

S.NO.	SUBJECT	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.जा.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
01	PSYCHIATRY	01	01	-	-	-	02

उपरोक्त चिन्हित पदों में अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. = अन्य पिछड़ा वर्ग, के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित हैं। सीनियर रेसीडेंट का वेतन - 76000/- (निर्वहन भत्ता), जूनियर रेसीडेंट का वेतन - 53000/- (निर्वहन भत्ता) अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनात्र प्रेषित ।

1. संभागायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल ।
3. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, हॉस्टल ब्लॉक ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी।
4. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की Website पर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

SENIOR RESIDENT
CHECK LIST

Name of Candidate.....Category.....

Subject/Post &Category applied for.....

Option & Drafts.....Total No of Drafts.....

Contact No.....

Documents

1. High School /Higher Secondary.Date of Birth & Age.....
2. MBBS Marks Aggregate/Total.....Percentage(%).....35%.....
Name of College.....
3. MBBS Degree University Name.....
4. Internship Completion Certificate.....
5. MD/MS/MCh Degree/MSc/PH.D.....Year of Passing.....
Name of College.....Registration No.....
6. PG Attempts 1st /2nd /3rd
7. Higher Qualification DM/MCH.....
8. Post PG Experience
9. Publications/Presentation in indexed Journal Nos.....
.....Nations/state.....
10. Cast Certificate
11. Domicile Certificate(M.P.).....
12. MBBS Registration No.(State).....State Council
13. MD Registrations (State).....State Council
14. Employer's NOC if working.....

Declaration-~~I~~hereby declare that I am working / Not working in any Govt./Semi Govt. ~~institution~~ at present.

Name &Signature of Candidate

(Name & Signature of Scrutiny officer)

Signature of Chairman

आवेदन पत्र का प्रारूप
गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति, भोपाल(मध्यप्रदेश)

सीनियर रेसीडेंट

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष-2022

फोटो मय हस्ताक्षर

विज्ञापन क्रमांक.....

अंतिम तिथि.....

विषय.....

नोट - सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूरा की जावे।

1. बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक..... दिनांक..... राशि.....

बैंक का नाम.....

2. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु./डॉ.....

3. आवेदक का (लिंग)..... पुरुष/महिला.....

4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....

5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

6. दूरभाष क्रमांक..... मोबाइल क्रमांक.....

स्थायी पता.....

7. दूरभाष क्रमांक..... मोबाइल क्रमांक.....

जन्मतिथि (हाई स्कूल/हायर सेकेंड्री परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)

8. अंतिम तिथि को आवेदक की आयु..... दिन..... माह..... वर्ष.....

9. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी हैं - हाँ/नहीं.....

10. जन्म स्थान की जानकारी - शहर..... जिला..... राज्य.....

11. बॉण्डेड कैंडिडेट है/अथवा नहीं।

12. प्रमाण-पत्र यदि विद्यार्थी शाखा (गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल) में जमा है तो उसका प्रमाण - पत्र संलग्न करें।

13. वर्ग - अनारक्षित/अनु.जाति/अनु. जनजाति /अ. पि. वर्ग/आ.क.व.

(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

14. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं राज्य का नाम.....

(मेडिकल काउंसिल का स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

015. शैक्षणिक योग्यताए :- (प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

16. व्यावसायिक अनुभव :-

क्र.	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	अशैक्षणिक / शैक्षणिक	अवशि
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

17. सेवारत है, तो नियोक्ता का नाम, पद, स्थान.....

(अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।

18. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची.....

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम.....

वचन पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर चिकित्सा महाविद्यालय के संवर्धन एवं संविलियन तथा भर्ती नियम पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे। इन नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम.....

घोषणा पत्र

मै, यह घोषण करता / करती हूँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में होने वाली
सीनियर / जूनियर रेसिडेंट के पद के लिये साक्षात्कारी में उपस्थित हुआ / हुई हूँ इसके अतिरिक्त मैं अन्य किसी शासकीय
सेवा में कार्यरत नहीं हूँ अगर कार्यरत पाया जाता हूँ/ जाती हूँ तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

दिनांक

आवेदक का नाम

हस्ताक्षर

JUNIOR RESIDENT CHECK LIST

Name of Candidate..... Category.....

Subject/Post&Category applied for

Option & Drafts..... Total No of Drafts.....

Contact No.....

Documents

1. High School /Higher Secondary Date of Birth & Age.....
- a) MBBS Marks Aggregate/Total..... Percentage(%)..... 80%.....
- b) Allempt.....
2. Name of College.....
3. MBBS Degree University Name.....
4. Internship Completion Certificate.....
5. Any Experience.....
-
-
-
6. Caste Certificate.....
7. Domicile Certificate(M.P.).....
8. MBBS Registration No.(State)..... State Council
9. Employer's NOC if working.....

Declaration- I hereby declare that I am working / Not working in any Govt./Semi Govt. institution at present

Name & Signature of Candidate

(Name & Signature of Scrutiny officer)

Signature of Chairman

आवेदन पत्र का प्रारूप

गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति, भोपाल(मध्यप्रदेश)

जूनियर रेसीडेंट

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष-2021

- विज्ञापन क्रमांक.....
- अंतिम तिथि.....
- विषय.....
- नोट – सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूरा की जावे।
1. NEFT/IMPS/बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....
- बैंक का नाम.....
2. आवेदक का नाम डॉ.....
3. आवेदक का (लिंग).....पुरुष/महिला.....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
-
- मोबाइल क्रमांक.....
6. स्थाई पता.....
-
- मोबाइल क्रमांक.....
7. जन्मतिथि (हाई स्कूल/हायर सेंकेंड्री परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)
8. अंतिम तिथि को आवेदक की आयु.....दिन.....माह.....वर्ष.....
9. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी हैं – हाँ/नहीं.....
10. जन्म स्थान की जानकारी – शहर.....जिला.....राज्य.....
11. बॉण्डेड कैंडिडेट है/अथवा नहीं ।
12. मूल प्रमाण-पत्र यदि शासकीय /स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में जमा है तो उसका प्रमाण – पत्र संलग्न करें।
13. वर्ग – अनारक्षित/अनु.जाति/अनु. जनजाति /अ. पि. वर्ग.....
- (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
14. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं राज्य का नाम.....
- (मेडिकल काउंसिल का स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

फोटो मय हस्ताक्षर

15. शैक्षणिक योग्यताए :- (प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

16. शैक्षणिक अनुभव :-

क्र.	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	अशैक्षणिक/ शैक्षणिक	अवधि
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

17. सेवारत है, तो नियोक्ता का नाम, पद, स्थान.....
(अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।

18. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम.....

वचन पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर चिकित्सा महाविद्यालय के संवर्धन एवं संविलियन तथा भर्ती नियम पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे। इन नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम.....

घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता /करती हूँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में होने वाले सीनियर/जूनियर रेसिडेन्ट के पद के लिये साक्षात्कार मे उपस्थित हुआ/हुई हूँ इसके अतिरिक्त मैं अन्य किसी शासकीय सेवाओं में कार्यरत नहीं हूँ अगर कार्यरत पाया जाता हूँ/जाती तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

दिनांक:-

आवेदक का नाम:-.....
हस्ताक्षर.....

सीनियर रेसीडेन्टस पात्रता :-

1. सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
2. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।

अपात्रता:-

1. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
2. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
3. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
4. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
5. बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।
6. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी।

चयन विधि :-

- (i) अधिष्ठाता द्वारा नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञापित जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
- (ii) चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात् मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
- (iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है उसी विषय के लिए पात्रता होगी।
- (iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
- (v) विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।
- (vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
- (vii) ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- (viii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियाँ रहने पर निजी चिकित्स महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

टेन्योर (Tenure):-

- (i) टेन्योर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- (ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा व आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
- (iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त

होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

- (i) राज्य शारान द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- (ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेन्सी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- (iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :-

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संविन नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

वेतन भत्ते :-

- (i) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी/डिप्लोम/एम.डी.एस उत्तीर्ण एवं चयनित उम्मीदवार को निर्वाहन भत्ता 76000/- देय होगा। अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- (ii) प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

टीप :-

- (i) जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरो/ चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

आवेदन शुल्क:-

1. सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 1000/- एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रु. 500/- का बैंक ड्रॉपट अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल के नाम संलग्न करना/आवेदन शुल्क की रसीद अधिष्ठाता कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा। जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, यदि अनारक्षित श्रेणी के पद हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें रु. 1000/- का बैंक ड्रॉपट देना होगा।
2. उपरोक्त नियम व शर्तें शासन के पत्र क्रमांक 1200-02/स्था/राज/2021 भोपाल, दिनांक 24.12.2021 होंगी।

जूनियर रेसीडेंट/रजिस्ट्रार

1. एम.बी.बी.एस. पास कर इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो।
2. म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. डी-950/715/10/1/55 दि. 22.3.10 के अनुसार उक्त चिकित्सकों की इंटरनशिप साक्षात्कार के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

अवधि — उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति एक वर्ष होगी जिसका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष हो सकता है। नियमानुसार एक वर्ष पूर्ण होने पर दो दिन का अंतराल पश्चात अवधि में वृद्धि की जावेगी साथ ही विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन एवं वर्क रिपोर्ट संतोष जनक पाये जाने पर वृद्धि कि जावेगी।

आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर सीटें अ.ज.जा. **S.T**/अ.जा. **S.C.**/अ.पि.व. **O.B.C.** एवं सामान्य **Gen.** श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अन्य शर्तें

1. आवेदन शुल्क — सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 1000/- एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रु. 500/- का बैंक ड्रॉपट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
2. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त सभी व्यक्ति मध्य प्रदेश, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के द्वारा शासित होगा।
3. इन नियमों के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. सेवारत उम्मीदवारों को आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन की मूल प्रति सीधे इस कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन की छायाप्रति अपने विभाग के माध्यम से प्रेषित की जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा आवेदन अग्रेषित नहीं होने पर सेवारत उम्मीदवार के प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। सेवारत उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अपने विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
5. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध के स्थाई प्रमाणपत्र (तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 1. आयु के संबंध में हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री परीक्षा प्रमाणपत्र
 2. एम.बी.बी.एस. परीक्षा संबंधी प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
 3. एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. डिग्री/डिप्लोमा।
 4. स्नातकोत्तर उपाधि पश्चात अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो)।
 5. स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी अभि प्रमाणित प्रमाणपत्र।
 6. डी.एम./एम.सी.एच./पी.एच.डी. (सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त प्रमाणपत्र।
 7. मेडिकल कौंसिल में सभी मेडिकल डिग्रियों के पंजीयन प्रमाणपत्र। मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के एम.सी.आई. से ऐफिलेसन होने तक (छूट प्रदान की गई)
 8. पब्लिकेशन संबंधी प्रमाणपत्र। (साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना)।
 9. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
 10. परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। किंतु साक्षात्कार के समय उन्हें उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
 11. ओ.बी.सी. उम्मीदवार को तहसीलदार/तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान आय प्रमाण पत्र।
 12. (F) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदों को पुरुष उम्मीदवार से भरा जायेगा।

13. चयन के लिए उसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को यथासंभव पहली प्राथमिकता दी जावेगी एवं दूसरी प्राथमिकता म. प्र. के किसी भी चिकित्सालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये चिकित्सक को दी जावेगी।
14. प्रत्याशी अगर म. प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क. एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.8.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होगा। चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
15. इन पदों को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
16. नियमानुसार डी.एन.बी. अर्हताधारी छात्र/छात्राये सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु पात्रता नहीं रखते है।